अंचल कार्यालय, दरभंगा

आदेश–फलक

(देखें अभिलेख हस्तक 1941 का नियम–129)

केस नं० – 1539
जिला–दरभंगा
केस का प्रकार :– दाखिल खारिज

अनुमंडल–दरभंगा, सदर

वर्ष–16-17
अंचल–दरभंगा सदर

आदेश की क्रम सं० और तारिख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर
1	
1 19.7.16	श्री/श्रीमती मुरारी लाल शर्मा पर्यवेक्षक पिता/पति स्व० कल्याण चन्द्र शर्मा पता सं० लालबाग जिला दरभंगा ने RTPS के तहत आवेदन पत्र सं० 3476 दिनांक 19.7.16 को नामान्तरण हेतु केवाला की छायाप्रति के साथ आवेदन पत्र दिया। आवेदित भूमि का विवरण निम्न प्रकार है :– मौजा: लालबाग; थाना सं०: ; खाता: ; खेसरा: 8349, 8348, 8347; रकबा: 0-3-15-0 हल्का कर्मचारी एवं अं० नि० से जाँच प्रतिवेदन की माँग करें। अभिलेख दिनांक 25.7.16 को उपस्थापित करें। लेखापित एवं संशोधित अंचल अधिकारी सदर, दरभंगा। अंचल अधिकारी सदर, दरभंगा।
2 25.7.16	अभिलेख उपस्थापित। ह० कर्म० का जाँच प्रतिवेदन अं० नि० के माध्यम से प्राप्त है। हल्का कर्मचारी ने प्रतिवेदित किया है कि आवेदित भूमि आवेदक/आवेदिका को विक्रय, दान, बटवारा एवं उत्तराधिकारी के द्वारा प्राप्त है, जमाबंदी मोख्तारकर्त्ता/विक्रेता के नाम से पंजी–2 में संचालित है। स्थानीय पूछ–ताछ के क्रम में लोगों ने बतलाया कि आवेदित भूमि आवेदक/आवेदिका के दखल–कब्जे में है एवं सरकारी भूमि से मुक्त है। अतः राजस्व हित में दाखिल–खारिज की स्वीकृति दी जा सकती है। अंचल निरीक्षक ने भी प्रतिवेदनानुसार दाखिल–खारिज आवेदन को स्वीकृत करने की अनुशंसा की है। हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन के आलोक में आवेदक/संबंधित पक्षों को सूचना एवं आम सूचना निर्गत करें। अभिलेख दिनांक 28.7.16 को उपस्थापित करें। लेखापित एवं संशोधित अंचल अधिकारी सदर, दरभंगा। अंचल अधिकारी सदर, दरभंगा।
3 28.7.16	अभिलेख उपस्थापित। सूचना का तामिला प्राप्त है जो अभिलेख में संलग्न है। आवेदक/आपत्तिकर्त्ता उपस्थित/अनुपस्थिति है। सुना। कोई आपत्ति प्राप्त नहीं है। हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि भूमि आवेदक/आवेदिका के दखल, कब्जे में है एवं सरकारी भूमि से मुक्त है। यदि इस दाखिल खारिज वाद से संबंधित सक्षम न्यायालय द्वारा कोई प्रतिकूल आदेश पारित होता है तो यह वाद स्वतः प्रभावित होगा। इस दाखिल–खारिज से हकियत वाद प्रभावित नहीं होगा। अतः हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन के आलोक में खाता ..... खेसरा 8349, 8348, 8347 रकबा 0-3-15-0 लगान ..... के दाखिल–खारिज आवेदन को नामंजूर किया जाता है। तदनुसार जमाबंदी कायम करने हेतु हस्ताक्षरित शुद्धि–पत्र निर्गत करें। लेखापित एवं संशोधित अंचल अधिकारी सदर, दरभंगा। अंचल अधिकारी सदर, दरभंगा।

प्रपत्र–XIII

[बं० दा० खा० नियमावली–2012 के नियम 5, उप–नियम–(9), (10) एवं (11)]

आरिज के लिए कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक से जाँच प्रतिवेदन का प्रपत्र

...रण (दाखिल–खारिज) केस सं० :– 1539 वर्ष–2016-17

जिला–दरभंगा, अनुमंडल– सदर दरभंगा सर्किल/अंचल–सदर दरभंगा हल्का सं०–10 स्टेट का नाम–बिहार सरकार

मौजा– लालबाग थाना नं०– थाना– बी०एन०बी०डि०

(1) लिखे विक्रय, दान, बटवारा या उत्तराधिकारी (1) उत्तराधिकारी

(2) पूर्ण या अंशतः (2) द्वारा होल्डिंग का

(3) बिक्री द्वारा अन्तरित क्षेत्र का रकबा (3) 0-3-15-0

(4) केवाला संख्या एवं तिथि (4)

नामान्तरण (दाखिल–खारिज के पहले मूल होल्डिंग				अभियुक्ति
जमाबंदी नं०	जमाबंदीदार का नाम	रकबा	लगान	
52	दुर्गा देवी पति–कल्याणचन्द्र शर्मा	0-15-0	32.00	अं० अ० महाशय, आवेदित भूमि आवेदक के माता एवं पिता के नाम से जमाबंदी हाल साफ है। आवेदक द्वारा उत्तराधिकारी दा०खा० के द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। जमाबंदीदार के तीन पुत्र (1) मुरारीलाल शर्मा (2) संजय कुमार शर्मा (3) स्व० पवन कुमार शर्मा स्व० पवन कुमार शर्मा के पत्नी एवं दो बेटा है। नाम से नामान्तरण का प्रस्ताव किया गया है। भूमि सरकारी से मुक्त है एवं दखल कब्जे में है। अतः वर्णित उत्तराधिकारी के नाम से नामान्तरण दा०खा० की सिफारिश की जाती है। 28/11/16
367	कल्याणचन्द्र शर्मा पिता–भद्रदेव चन्द्र शर्मा	0-2-10-0	80-0	
		0-3-15-0		

नामान्तरण (दाखिल–खारिज) के बाद मूल होल्डिंग			
जमाबंदी नं०	जमाबंदीदार का नाम	रकबा	लगान
	शून्य V.O.S. A.A.	—	—

नया होल्डिंग					
जमाबंदी नं०	जमाबंदीदार का नाम	खाता	खेसरा	रकबा	लगान
	मुरारीलाल शर्मा पं० संजय कुमार शर्मा पिता–स्व० कल्याणचन्द्र शर्मा पं० टंजीता शर्मा पति स्व० पवन कुमार शर्मा पं० आदिति भारद्वाज पं० समृद्धि भारद्वाज पिता–स्व० पवन कुमार शर्मा सा० लालबाग जिला–दरभंगा		8349 8348 8347	0-1-5-0 0-2-10-0 0-3-15-0	160.00 (तीन कठ्ठा पंद्रह धुर)

28/11/16 परिमंडल कर्म

25.11.16 अंचल कर्म

Mhmed 25/11/2016